NDOH: 09 .07.2025

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Misc Application No. 120/2024
In
Original Application No. 271/2024

IN THE MATTER OF:

SUSHIL TYAGI ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS .... RESPONDENTS

INDEX OF FILING

Sl.No.	PARTICULARS	Page NO.
1.	Affidavit in Terms of Order dated 27.05.2025 With Joint	1-4
2.	Annexure Joint Inspection report with Annexure 1 to 11.	5-38
3	Vakalatnama on behalf of the Respondents	39

FILED ON: 02 /07 /2025

FILED BY:

(DHRUV TAMTA)
Advocate for the Respondents
Chamber No. 331, M.C. Setalvad Bock Supreme Court of India,
Bhagwan Das Road, New Delhi
Mo. 9899989917 Email - tamtaadvocates@outlook.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. No. 120 of 2024

(In Original Application No. 271 of 2024)

Sushil Tyagi ... Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ... Respondent(s)

AFFIDAVIT IN TERMS OF ORDER DATED 27.05.2025

I, Mayur Dixit S/o Shri Umesh Chandra Dixit, presently posted as District Magistrate, Haridwar, Uttarakhand, the above-named deponent, do hereby solemnly affirm and State:

1. That the deponent is presently posted as District Magistrate, Haridwar, Uttarakhand.
2. That on 27.05.2025, during the course of hearing in the present matter, this Hon'ble Tribunal was pleased to issue inter alia followings directions:

   "…………

   8. Even though the District Magistrate and Regional Officer, UKPCB will be liable to penal/disciplinary action for inaction/negligence on their part, yet taking a lenient view we refrain from passing any order for taking of penal/disciplinary action against them but in view of their failure to take appropriate preventive, punitive and remedial

action in accordance with law on finding of environmental violations by the Brick Kiln in question and consequent inconvenience and delay caused in remediation of environmental damage caused and also resolution of substantial environmental questions involved, we impose costs of Rs. 10,000/- each on the District Magistrate, Haridwar and Regional Officer, UKPCB, Haridwar. The costs be deposited with NGT Bar Association, Principal Bench, New Delhi within one month, failing which the Secretary, NGT Bar Association, Principal Bench, New Delhi be entitled to file execution application before this Tribunal for realization of the costs.

9. The Joint Committee already constituted by this Tribunal is directed to take appropriate preventive, punitive and remedial action in accordance with law as directed by this Tribunal and file compliance with report one month."

………………"

3. That in the present Original Application No. 271 of 2024, Joint Committee comprising of following official was constituted by the order dated 21.05.2024 by the Hon'ble Tribunal:

   i) District Magistrate, Haridwar.

   ii) State Pollution Control Board.

4. That in the present matter i.e. M.A. No. 120 of 2024, the nominated member of the Joint Committee visited the site on 12.06.2025 and 24.06.2025 and submitted Joint Report with relevant annexures. Copy of

NOTARY SURENDRA KUMAR ADVOCATE HARDWAR (INDIA) No. 02(05)/2001 GOVT. OF UTTARAKHAND

Joint Report is being marked and filed as **ANNEXURE NO. 1** with this compliance affidavit.

ACTION TAKEN:

5. That it is evident from the inspection report, M/S Shiv Brick Supply was not in operation. Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Roorkee has revoked the Consolidated Consent and Authorization (CCA) issued to the brick kiln vide its order dated 20.06.2025 and directed not to start manufacturing operation without prior Consolidated Consent and Authorization (CCA) of the State Pollution Control Board.

6. That the State Pollution Control Board has already imposed an Environmental Compensation of Rs. 10,43,250.00 vide its directions dated 12.12.2024 on account of past violation i.e. operation of brick kiln without valid Consent to Operate/Authorization of the State Pollution Control Board.

7. That in compliance of order dated 27.05.2025 of the Hon'ble Tribunal, the District Magistrate, Haridwar and Regional Officer, UKPCB, Roorkee has been submitted the amount of costs of Rs. 10,000 each with NGT Bar Association, Principal Bench, New Delhi.

8. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

NOTARY
SURENDRA KUMAR
ADVOCATE
HARDWAR (INDIA)
No. 02(05)/2001
GOVT. OF UTTARAKHAND

DEPONENT

VERIFICATION

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of Para - 1 to Para - 8 of above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at HARDWAR on this 30 day of June, 2025.

DEPONENT

NOTARY
SURENDRA KUMAR
ADVOCATE
HARDWAR (INDIA)
No. 02(05)/2001
GOVT. OF UTTARAKHAND

ATTESTED
30/06/2025
SURENDRA KUMAR
NOTARY, ADVOCATE
DISTT. COURT, HARDWAR

IDENTIFIED BY
(राजेन्द्रसिंह)

ANNEXURE No. 1

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा M.A. No. 120/2024 (in Original Application No 271 of 2024) सुशील त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में संयुक्त कमेटी की निरीक्षण आख्या।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा M.A. No. 120/2024 (in Original Application No 271 of 2024) सुशील त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 27.05.2025 को निम्नलिखित् निर्देश निर्गत किये गये हैं:–

"............

8. Even though the District Magistrate and Regional Officer, UKPCB will be liable to penal/disciplinary action for inaction/negligence on their part, yet taking a lenient view we refrain from passing any order for taking of penal/disciplinary action against them but in view of their failure to take appropriate preventive, punitive and remedial action in accordance with law on finding of environmental violations by the Brick Kiln in question and consequent inconvenience and delay caused in remediation of environmental damage caused and also resolution of substantial environmental questions involved, we impose costs of Rs. 10,000/- each on the District Magistrate, Haridwar and Regional Officer, UKPCB, Haridwar. The costs be deposited with NGT Bar Association, Principal Bench, New Delhi within one month, failing which the Secretary, NGT Bar Association, Principal Bench, New Delhi be entitled to file execution application before this Tribunal for realization of the costs.

9. The Joint Committee already constituted by this Tribunal is directed to take appropriate preventive, punitive and remedial action in accordance with law as directed by this Tribunal and file compliance with report one month."

.................."

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2024 द्वारा विषयगत प्रकरण में अनुपालन हेतु निम्नानुसार संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है:–

1. जिलाधिकारी, जिला–हरिद्वार।
2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में संयुक्त कमेटी द्वारा नामित सदस्यों द्वारा दिनांक 12.06.2025 एवं दिनांक 24.06.2025 को मै0 शिव ब्रिक सप्लाई,

गांव–टिकोला कलां, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. मै0 शिव ब्रिक सप्लाई, गांव–टिकोला कलां, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार में स्थापित है।

2. ईट भट्टा हाई ड्राफ्ट तकनिकी में परिवर्तित है। ईट भट्टा संचालक के अनुसार माह जून–2024 से ईट भट्टा संचालन में नहीं है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालन में नहीं पाया गया। **(संलग्नक–1)**।

3. मै0 शिव ब्रिक सप्लाई द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974 की धारा–25 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 की धारा–21 के अन्तर्गत Consolidated Consent and Authorization (CCA) प्राप्त की गयी है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.03.2027 तक है। **(संलग्नक–2)**।

4. मै0 शिव ब्रिक सप्लाई को उद्योग निदेशालय द्वारा दिनांक 17.10.1998 को Certificate of Permanent Registration निर्गत किया गया है, जिसकी द्वितीय प्रति उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 29.12.2004 को निर्गत की गयी है। **(संलग्नक–3)**।

5. मै0 शिव ब्रिक सप्लाई को जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र दिनांक 15. 10.1998 द्वारा ईट भट्टा स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त निर्गत किया गया है। **(संलग्नक–4)**।

6. मै0 शिव ब्रिक सप्लाई को जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत, हरिद्वार द्वारा प्रपत्र सं0–25 (नियम–101) के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 हेतु ईट भट्टा की अनुज्ञा निर्गत की गयी है। **(संलग्नक–5)**।

7. मै0 शिव ब्रिक सप्लाई द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रथम बार वर्ष–2005 में दिनांक 01.04.2005 से दिनांक 31.12.2005 तक जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974 की धारा–25 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 की धारा–21 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त की गयी। **(संलग्नक–6)**।

8. मै0 शिव ब्रिक सप्लाई को ईट निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी की खुदाई हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) से दिनांक 07.12.2018 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है। **(संलग्नक–7)**।

9. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण में समय–समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में मै0 शिव ब्रिक सप्लाई, गांव–टिकोला कलां, परगना–मंगलौर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार से उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रूड़की द्वारा पत्र दिनांक 12.06.2025 द्वारा निम्नलिखित् सूचनाऐं चाही गयी थी:–

i. ईट भट्टा संचालन हेतु जिला पंचायत हरिद्वार से आवश्यक अनुमति पत्र।

ii. ईट भट्टा से उद्यान की दूरी के सम्बन्ध में जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार का प्रमाण पत्र।

iii. ईट निर्माण में प्रयुक्त भू–जल के प्रयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण की अनुमति पत्र।

iv. ईट भट्टें परिसर में धूल आदि नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाऐं एवं हरित पट्टिका का विवरण।

(संलग्नक–8)

10. ईट भट्टा संचालक द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.06.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे द्वारा मै0 शिव ब्रिक सप्लाई, टिकोला कलां, हरिद्वार को बंद कर दिया गया है जिसका संचालन हमारे द्वारा वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। ईट भट्टा संचालक द्वारा दिनांक 24.01.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न की गयी है। तथापि ईट भट्टा संचालक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की के पत्र दिनांक 12.06.2025 के अनुपालन में वांछित सूचनाऐं प्रेषित् नहीं की गयी। **(संलग्नक–9)**।

11. मै0 शिव ब्रिक सप्लाई द्वारा प्रेषित् प्रत्युत्तर के दृष्टिगत उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रूड़की द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974 की धारा–25 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 की धारा–21 के अन्तर्गत निर्गत Consolidated Consent and Authorization (CCA) पत्र सं0–UKPCB/ROR/ Con/S-194/2024/295 दिनांक 27.05.2024 को रिवोक कर दिया गया है। मै0 शिव ब्रिक सप्लाई के संचालक को निर्देशित् किया गया है कि ईट भट्टें का संचालन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वांछित Consolidated Consent and Authorization (CCA) प्राप्त किये बिना कदापि न किया जाये। **(संलग्नक–10)**।

12. मै0 शिव ब्रिक सप्लाई के विरूद्ध पूर्व में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वांछित Consolidated Consent and Authorization (CCA) प्राप्त किये बिना संचालन किये जाने पर रू0 10,43,250/– (रू0 दस लाख तैतालीस हजार दौ सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है। **(संलग्नक–11)**।

कार्यवाहीः–

1. मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा रू0 10,000/– एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की द्वारा रू0 10,000/– की Cost को एन0 जी0 टी0 बार एसोसिएशन, नई दिल्ली में जमा कर दिया गया है।

2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रूड़की द्वारा मै0 शिव ब्रिक सप्लाई को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974 की धारा–25 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 की धारा–21 के अन्तर्गत निर्गत Consolidated Consent and Authorization (CCA) पत्र सं0–UKPCB/ROR/Con/S-194/2024/295 दिनांक 27.05.2024 को रिवोक कर दिया गया है। मै0 शिव ब्रिक सप्लाई के संचालक को निर्देशित् किया गया है कि ईंट भट्टें का संचालन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वांछित Consolidated Consent and Authorization (CCA) प्राप्त किये बिना कदापि न किया जाये। **(संलग्नक–9)।**

3. मै0 शिव ब्रिक सप्लाई के विरूद्ध पूर्व में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वांछित सहमति प्राप्त किये बिना संचालन किये जाने पर रू0 10,43,250/– (रू0 दस लाख तैतालीस हजार दौ सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है। **(संलग्नक–10)।**

उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या प्रेषित् है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रूड़की।

उप जिलाधिकारी,
रूड़की।

जिलाधिकारी,हरिद्वार।

Photographs of M/S Shiv Brick Supply, Tikola Kala, Haridwar (Date: 12.06.2025)

REGIONAL OFFICE
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Irrigation Design Building Campus, Roorkee-247667 (Distt- Haridwar)

G20

UKPCB/ROR/Con/S-194/2024/295 Date:27.05.2024

Registered Post

To,

M/s Shiv Brick Supply
Vill-Tikola Kalan,
Pargana, Manglour,
Roorkee, Distt- Haridwar.

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh/Renewal/Reapplication/Expansion/) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6" of the "Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and HW Rules respectively).

CAF ID - 5335	**Application ID-163631**
CCA (Renewal)	
Date-24.10.2019	

CCA is hereby granted to **M/s Shiv Brick Supply** located at **Vill-Tikola Kalan, Pargana, Manglour, Roorkee, Distt- Haridwar.** subject to the provisions of the **Water Act, Air Act** and **HW Rules** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is **granted for a period up to 31.03.2027** and valid for manufacturing of following products with **Capital Investment/Net Assets Values Rs 24.21 Lacs.**

S. No.	Last CCA Quantity		CCA Renewal	
	Product	Quantity (Per Day)	Product	Quantity (Per Day)
1	Bricks	25,000 Nos	Bricks	25,000 Nos

2. **Specific Conditions under Water Act:**
   (i) **The daily quantity of effluent discharge (KLD):-**

	Last CCA or CTE	CCA Renewal
Trade Effluent	Nil	Nil
Sewage	1.0	1.0

   (ii) **Trade Effluent Treatment and Disposal:** Nil.
   (iii) **Sewage Treatment and Disposal**: The applicant shall provide comprehensive Septic Tank/ Soak pit is required with reference to influent quantity and quality.

3. **Conditions under Air Act:-**
   (i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards :

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity KLD/MTD	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1	Brick Klin	30	Coal & wood	-	Induced draft with Zig-Zag	250 mg/NM^3

क्षेत्रीय कार्यालय रुड़की

					Technology			
Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time: from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. Conditions under HW Rules:-

(i) The **Occupier** of **M/s Shiv Brick Supply** is hereby grated an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.

(ii) The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes.

(iii) The authorization shall be in force for a period **up to 31.03.2027**

(iv) The authorization is subject to the conditions stated below and the conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
1	-	-	-

Terms and conditions of authorization:

(i) The authorization shall comply with the provisions of the **Environment (Protection) Act,** 1986, and the rules made thereunder.

(ii) The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.

(iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.

(iv) Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.

(v) It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.

(vi) An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.

(vii) Any other conditions for compliance as per the Guidelines issued by the MoEF or CPCB.

5. **Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit:-**

(i) Annual return in **Form-4** and **Waste Disposal Manifest** in **Form-10** under **HW Rules** and **Third Party Audit Report.**

(ii) Environment Statement in **Form-V** of **Environment (Protection) Rules, 1986.**

(iii) Quarterly **compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.**

6. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.

7. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

8. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the **Water Act, Air Act** and **HW Rules** will results in legal action under the aforesaid **Acts and Rules.**

Specific Conditions:

1. In case Unit is using ground water than unit has to obtain NOC from central Ground water Authority for abstraction of ground water for which unit may refer web site http://cgwa-noc -gov.in
2. The applicant shall provide ports in the chimney/stack and facilities such as ladder, platform etc. as per requirement for monitoring the air emissions and the same shall be open for inspection and use at all times by the Board's staff. The chimney/stack attached to various sources of emission shall be designated by numbers such as S-1, S-2 etc. and these shall be painted/ displayed to facilitate identification.
3. The industry shall ensure interlocking of air pollution control devices and production processes.
4. Solid wastes generated from the industry have to be disposed in manner so that contamination of surface water bodies/ground water/soil etc. does not take place.

5. The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
6. The applicant shall develop three rows of green belt on the premises with plant species as suggested by the **Central Pollution Control Board.**
7. The industry shall ensure **all safety measures** and shall undertake **periodical assessment** by the competent authority.
8. The unit shall strictly comply with the provision of The Public Liability Insurance Act. 1991 as amended and Rules made there under there under and shall submit copies of Insurance Policies (if any) to the Board Offices regularly.
9. **Unit shall ensure to comply the notification of state Government vide No. 1822/VII-A-1/2021/80-ख/16 Dated 28.10.2021 regarding the Uttarakhand state mining Policy 2021.**
10. **Unit Shall ensure to comply the Notification of MoEF & Climate change (Government of India) on dated 22.02.2022 Under EP Act 1986.**
11. **The Consent is Valid under the Final decision of Hon'ble High Court & Hon'ble NGT in matter of OA No. 783/2022 Ajay Kumar Vs Uttarakhand Pollution Control Board & Others.**
12. **Unit shall ensure to obtain the Validation certificate from Central Building Research Institue or authorized organization regarding conversion to induce draft zig zag Technology & Submit it to this office within three Months.**
13. All the moving areas around the main Brick kiln shall be paved with the bricks to minimize the fugitive dust/emission from the brick kilns operations.
14. The occupier shall ensure that fine dust not to accumulate all around the Brick Kiln.
15. The unit shall submit stack emission monitoring report from MoEF & CC recognized laboratory to the Board's offices, within two month.
16. The unit shall strictly comply with provisions of water Act, Air Act & E (P) Act and Rules/Notifications made thereunder.

General Conditions:

1. The applicant shall get the sample of treated effluent/emissions/hazardous wastes/leachate analyzed at least once in a **three month/six months/one year** from the laboratory recognized by the CPCB/UEPPCB/NABL /MoEF and conforms to the limits stipulated. Test report shall be communicated to the UEPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the **Board** bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the **Board**, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP's/ETP's inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
7. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall reapply before the 30 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.

12. The **Board** reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
13. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the **Board.**
14. Any unauthorized change in personnel, equipment as working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
15. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the **Board** to close down the facility.
16. The authorization is valid for temporary storage of Hazardous Waste within premises only.
17. The authorized agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on **Display Board of size 6x4 feet** out side the main factory gate within premises.
18. It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to close and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.
19. The applicant shall maintain record of hazardous waste in **Form-3** and shall submit annual return in **Form-4** on or before the 30th day of June following to the financial year to which that return relates.
20. In case of any accident, complete details shall be submitted to this Board as required under H.W. Rules.
21. In no case any hazardous waste shall be disposed off on land, in any drain, or into any water stream. All spillage must also be safely collected and stored.
22. Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed **physical and chemical analysis of hazardous waste sample** and report to the **Board.**
23. Dried hazardous sludge from the process in the plant shall be **stored in double lined HDPE pit constructed with R.C.C. or such material which does not react with the waste contained in it.**
24. The storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and **'Hazardous'** shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
25. The industry will store non-ferrous metal waste, used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be **sold only to Registered Recyclers/Re-processors.**
26. In case of any transportation of hazardous waste, the details in **Form-10** of the **Hazardous Rules** shall be submitted to the **Board.**

27/05/2024

Regional Officer

Letter No. :UKPCB/ROR/Con/S-194/2024/ **Date: 05.2024**

Copy to: **Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board,** Dehradun for kind information.

Regional Officer

Annexure - 3 62

GOVERNMENT OF UTTRANCHAL
DIRECTORATE OF INDUSTRIES

द्वितीय प्रति जारी

CERTIFICATE OF PERMANENT REGISTRATION

FOR OFFICE USE ONLY

validity for ever
29/12/03
महा प्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
रुड़की (हरिद्वार)

Application No. 0 8 0

Block Code [ ] [ ] District Code 1 3 State Code 0 5

Whether items of manufacture / activity
require an Industrial License., 1. License Yes - 1, No - 2 [ ]
(No Industrial License is required for items listed in schedule II of the licencing notification dated 25-7-1991 if the Unit employes as than 10/20 workers with/without power.)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

The Unit permanently registered as **SSI/SSSBE/TINY** unit for the manufactured of items / activities as started in the application form and briefly noted below .

Name of the firm :- M/s शिव ब्रिक सप्लाई
ग्राम व पो० - हिदोला कलां .... Haridwar.
Nature of firm :- श्री अरविन्द कुमार S/o श्री राजेन्द्र सिंह Prop/~~Partners/Pvt. Ltd/~~Ltd.
Office Address :- ग्राम व पो० - मकरेड़ी

Item of manufacture / activity (S. No. 1 & Appendix - A)
1. ब्रिक मात्र ।
2.
3.
4.
5.
6.

Name of Prop श्री अरविन्द कुमार
~~Partners~~
~~Director~~

Investment in plant and machinery (S.No 13 & Appendix - B)
Rs in 000 0 0 5 4 5

Permanent Registration No. 2 0 5 9 0 2 4 6 1 Pmt/Tiny/08

Date of Issue 1 7 1 0 1 9 9 8

Date of Production [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Ready for production

भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औधोगिक नीति व संवर्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप सं० 1(10)/2001 एन ई आर दिनांक 7 जनवरी 2003 से अधिसूचित " FISCAL INCENTIVES" इस अधिसुचना में उल्लिखित विकास केन्द्रो, औद्योगिक अवस्थापना विकासकेन्द्रो, आद्यौगिक आस्थानो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, थीम पार्क्स तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य क्षेत्रा मे उद्योग स्थापना की शर्तो को पूर्ण करने पर ही अनुमान्य होगी।

Dated : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

General Manager
District Industries Center
Roorkee, Haridwar (U.A)
महा प्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
रुड़की (हरिद्वार)

कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार।

पत्रांक संख्या / /98

दिनांक - 15-10-98

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स शिव ब्रिक सप्लाई प्रो0 अरविन्द कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी इक्करेड़ा तहसील रुड़की जिला हरिद्वार, का ईंट भट्टा जो कि ग्राम टिकोला कलां परगना मंगलौर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार मे स्थित है। इस ईंट भट्टे के पूरब व पश्चिम मे 1000- मीटर व उत्तर दक्षिण मे 500 मीटर तक कोई बाग बाग स्थित नही है। यह क्षेत्र फल पट्टी क्षेत्र भी घोषित नही किया गया है। अत: इस क्षेत्र मे मैसर्स शिव ब्रिक सप्लाई को ईंट भट्टा लगाने हेतु संस्तुति की जाती है।

पंकज कुमार
जिला उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

जिला उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार।

//Typed Copy//

कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार।

पत्रांक संख्या–451/98 दिनांक– 15–10–98

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स शिव ब्रिक सप्लाई, प्रो0 अरविन्द कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी, झबरेड़ा, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार का ईट भट्टा जो कि ग्राम–टिकोला कलां, परगना मंगलौर, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार में स्थित है। इस भट्टें के पूरब व पश्चिम में 1000 मीटर व उत्तर, दक्षिण में 500 मीटर तक कोई आम बाग स्थित नहीं है। यह क्षेत्र फल पट्टी क्षेत्र भी घेषित नहीं किया गया है। अतः इस क्षेत्र में मैसर्स शिव ब्रिक सप्लाई को ईंट भट्टा लगाने हेतू संस्तुति की जाती है।

ह0अ0
पंकज कुमार
जिला उद्यान अधिकारी
हरिद्वार।

Annexure-5

मा० शिव सिंह सफाई

जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत प्रपत्र संख्या 25

(नियम 101 देखिये)

जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत........हरिद्वार

जिला........हरिद्वार

86

5520 लाइसेन्स

चूँकि श्री........अरविन्द कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह........ने जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत........हरिद्वार........जिला........हरिद्वार........को........रुपये का भुगतान कर दिया है। अतः उन्हें........जिला पंचायत हरिद्वार........के स्थानीय क्षेत्र के भीतर........ग्राम........

दिनांक........1-10-04........से........30-9-05........तक........के लिये अनुज्ञा दी जाती है।

लाइसेन्सधारी का विवरण

नाम	पिता का नाम	व्यापार	पता	अभ्युक्ति
श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह				

लाइसेन्सधारी के हस्ताक्षर

यह लाइसेन्स........में विनियमन और नियंत्रण के निमित्त नियमों और शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदत्त किया गया है, जिनकी एक प्रति मैंने आज लाइसेन्सधारी को दे दी है।

दिनांक........21-9-04

लाइसेन्स अधिकारी

जिला पंचायत, हरिद्वार

लाइसेन्स अधिकारी

टिप्पणी :– स्थान और पृष्ठांकन की प्रविष्टियाँ तभी भरी जानी चाहिये, जब लाइसेन्स सशर्त हो। यदि लाइसेन्स सामान्य प्रकार का हो, तो पृष्ठांकन काट दिया जाना चाहिये।

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTARANCHAL ENVIROMENT PROTECTION AND POLLUTION CONTROL BOARD
UTTARANCHAL UEPPCB
क्षेत्रीय कार्यालय : सी–6, शान्ति शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नेहरू नगर, देहरादून–01
Regional Office : C-6, Shanti Shoping Complex, Nehru Nagar, Dehradun - 01

पत्रांकः यूईपीपीसीबी / आरओडी / सी / एचडीआर–369 / 05 / 1644, 41 दिनांक: 26.05.05

सेवा में,
मै0 शिव ब्रिक्क सप्लाई,
टिकोला कला, रूडकी, हरिद्वार।

विषयः जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 / 26 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 के अन्तर्गत घरेलू प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्र शून्य दिनांक 04.01.05 एवं अंतिम सूचना दिनॉक 05.05.05 का संदर्भ ले। आपके सहमति आवेदन पत्र व इस कार्यालय के निरीक्षण दिनॉक 06.04.05 के अनुसार सशर्त सहमति आदेश पंत्राक यूईपीपीसीबी / आरओडी / सी / एचडीआर–369 / 05 / दिनांक 26.05.05 सलग्न है। आपका ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1– सहमति शर्तो तथा निम्न बिन्दुओ का कढाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।

2– घरेलू उत्प्रवाह विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (लेआउट प्लान)इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।

3– आपको उद्योग की आडिट की हुई नवनीतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन(अचल+वर्तमान–वर्तमान जिम्मेदारियां) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते है जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क को जांच की जा सकें।

4– यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारण न किया जाए।

5– कृपया स्थापित घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रखरखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

6– उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।

7– आप उपकर अधिनियम 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करना सुनिश्चित करें।

8– घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु मानकों के अनुरूप सेप्टिक टैंक व सोक पिट आदि की व्यवस्था कर एक माह के अन्दर इस कार्यालय को विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9– नियमानुसार पर्यावरणीय व्यक्तव्य 30 सितम्बर तक बोर्ड में जमा कराना सुनिश्चित करें।

10– नियमानुसार फ्लाई ऐश का प्रयोग ईट निर्माण हेतु सुनिश्चित किया जाए।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधित के लिये अधिनियम के अनुसार जो उचित हो का प्राधिकार व शक्ति आरक्षित रखता है।

संलगनकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

26/5/7

(चंदन सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0स0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः सदस्य सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

26/7/5

क्षेत्रीय अधिकारी

O/c -

पत्रांकः यूईपीपीसीबी / आरओडी / सी / एचडीआर–369 / 05 / 1944(1) दिनांकः 26.05.05

सहमति आदेश पत्र

विषयः– मै0 शिव ब्रिक्क सप्लाई, टिकोला कला, रूडकी, हरिद्वार की जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974 की धारा 25 / 26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भः– आवेदन पत्र संख्या शून्य दिनांक

1. जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में **मै0 शिव ब्रिक्क सप्लाई, टिकोला कला, रूडकी, हरिद्वार** को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगरपालिका / औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता / नदी / कुयें में / भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लेखित सामान्य और विशेष शर्तो के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति **दिनॉक 04 जनवरी 2005 से 31 दिसम्बर 2005** तक की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी / सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधित के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–6, शांति काम्पलेक्स, नेहरू नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून–248001

दिनॉक 26 .05.05

पंत्राक यूईपीपीसीबी / आरओडी / सी / एचडीआर–369 / 05 / 1047(1)

सहमति शर्ते

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नही होनी चाहिए।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण घनमी0	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण घनमी0
(i) घरेलू	1.0 किलोलीटर / दिन	

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग–अलग बंद जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाऊन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र मे सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्टोर्म वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

27 डिग्री से0 3 दिन की बीओडी	30 मिग्रा / ली0 से अधिक न हो
कुल निलम्बित ठोस	100 मिग्रा / ली0 से अधिक न हो

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जो, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरुप हो।
5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नही होना चाहिए।
6. घरेलू उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।
7. शुद्धिकृत घरेलू उत्प्रवाह मिलकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार)एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जायें। इस सयुंक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
8. शुद्धिकृत घरेलू व उत्प्रवाह शर्त संख्या 9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण. बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्द भूमि .में पक्के ढ़कें हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उससे नुकसान न पहुंचाया जायें। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भांति बनाया जाये / बन्द पाइपों मे स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनवायें जारें।

9. इन शर्तो का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण,उत्प्रवाह मापन,नमूना एकत्र करने के व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के संबध में एक माह या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जायें।
10. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक आख्या,सहमति शर्तो की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।
11. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन कीक अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र,इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेंजें।
12. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफान के जल को भली भांति रखा जायें और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट से मिलने न दिया जायें।कच्चे माल,उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तुफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जायें।
13. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थो का भली भांति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाएः
(क) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
(ख) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्जवल किया जाये।
(ग) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाए।
14. विषैले पदार्थो का विषैलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जायें। विषमुक्त करने या मुहरबदं करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाए।
15. यदि फैक्ट्री के किसी संयन्त्र/सयन्त्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जायें।
16. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रखरखाव स्थापित करें। सभी पाइप,वाल्व,सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह,उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तुफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नही जाने दिया जाना चाहिए।
17. प्रार्थी को टर्मिनल,मैनहोल,तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
18. शुद्विकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन,तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 मे दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालको के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय–समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
19. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिये गये निर्देशो तथा बाद में समय–समय पर निर्गत निर्देशो का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और या इस सहमति आदेश की शर्तो का उल्लघनं करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानो के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।

20. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा उत्प्रवाह निस्तारण की दर,उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करें।
21. उपरोक्त शर्ते जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2)के अन्तर्गत समाप्त नही कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।
22. प्रार्थी को सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो,तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
23. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और उस बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
24. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्विकरण संयत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबधी कोई भी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और या/बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
25. फैक्ट्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म,तक उत्प्रवाह ले जाने वाली गैस चैनल,सोवर ड्रेन नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाये। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियां या मच्छरो की पैदावार हो, को नही होने दिया जाये।
26. निदेशक(निर्देशको),साझेदारो(साझेदारों),प्रोपराइटर(प्रोपराईटरों) के नाम व पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।
27. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तो के होते हुए भी उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ,जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो,का अधिकार व शक्ति आरक्षित रखता है।

26/7/

क्षेत्रीय अधिकारी

UTTARANCHAL UEPPCB
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTARANCHAL ENVIROMENT PROTECTION AND POLLUTION CONTROL BOARD
क्षेत्रीय कार्यालय : सी–6, शान्ति शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नेहरू नगर, देहरादून–01
Regional Office : C-6, Shanti Shoping Complex, Nehru Nagar, Dehradun - 01

पत्रांकः यूईपीपीसीबी / आरओडी / सी / एचडीआर–369 / 05 / 1045(1) दिनांकः26.05.05

सेवा में,
मै0 शिव ब्रिक्क सप्लाई,
टिकोला कला, रूडकी, हरिद्वार।

विषयः वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–21 एवं संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया आप अपने सहमति वायु आवेदन पत्र दिनांक 04.01.05 एवं अंतिम सूचना दिनॉक 05.05.05 का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र व इस कार्यालय के निरीक्षण दिनॉक 06.04.05 के अनुसार आपको सशर्त आदेश संख्या यूईपीपीसीबी / आरओडी / सी / एचडीआर–369 / 05 / 1045(1) दिनांक26.05.05 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं पर आकर्षित किया जाता है।

1. सहमति में दिए गए शर्तो एवं नीचे दिए गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कर एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. फ्लू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की नवीनतम अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. इस पत्र प्राप्ति के माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन कार्यक्षमता सम्बन्धी विवरण वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन व सुधार / अतिरिक्त व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित करें कि उत्सर्जन मानकों के अनुरूप रहें एवं परिवेशीय वायु गुणता प्रभावित न हो।
4. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
5. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति–आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
6. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उर्त्सजन की मात्रा के लिए मान्य है।

7. आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति– वर्तमान देनदारियां) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते है, जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जांच की जा सके।
8. आप उपकर अधिनियम 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करना सुनिश्चित करे।
9. प्रक्रिया उत्सर्जन नियंत्रण हेतु समुचित नियंत्रण व्यवस्था व संचालन इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए कि उत्सर्जन मानकों के अनुरूप रहे।
10. नियमानुसार फ्लाई ऐश का प्रयोग करना सुनिश्चित किया जाए।
11. भट्टे में किसी प्रकार की क्षमता विस्तार से पूर्व बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
12. भट्टें के विरूद्ध वायु प्रदूषण सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में वायु सहमति निरस्त समझी जायेगी।
13. सक्षम विभागों से भट्टों के संचालन हेतु अनुमति प्राप्त कर एक माह में इस कार्यालय में प्रेषित करें।
14. उपरोक्त शर्तो का कडाई से पालन किया जाए। उपरोक्त शर्तो का पालन न करने की स्थिति में आपकी बैंक गारंटी संख्या 01/2005 दिनॉक 05.05.05 बोर्ड के पक्ष में जब्त कर दी जायेगी।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी,उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो,वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

सलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

26/5/05

(चंदन सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः सदस्य सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

26/5/05

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–6, शॉति काम्पलेक्स, नेहरू नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून–248001

पत्रांकः यूईपीपीसीबी/आरओडी/सी/एचडीआर–369/05/1045,ए।　　　　दिनांकः26.05.05

सहमति आदेश पत्र

विषयः　**मै0 शिव ब्रिक्क सप्लाई, टिकोला कला, रूडकी, हरिद्वार वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत।**

संदर्भः– आवेदन संख्या शून्य　दिनाक

1. वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र **मै0 शिव ब्रिक्क सप्लाई, टिकोला कला, रूडकी, हरिद्वार** को अपने संयत्रों से सलंग्नक में वर्णित शर्तो के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. यह सहमति तिथि **दिनॉक 04 जनवरी 2005 से 31 दिसम्बर 2005** तक की अवधि के लिए मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो हुए भी, उत्तंराचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु(प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 धारा 21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के पास आरक्षित है।

26/5/05

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–6, शॉति काम्पलेक्स, नेहरू नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून–248001

दिनांकः 26.05.05

पत्रांकः यूईपीपीसीबी/आरओडी/सी/एचडीआर–369/05/1045.(1)

सहमति शर्ते

1.फ्लू गैस की प्रनिघंजा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिए गए चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से नही अधिक होना चाहिए।

(अ) सम्बद्व चिमनी की ऊंचाई
(ब) – बोर्ड मानकों के अनुरूप

2. वायु मंडल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।

(I)	सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस0पी0एम)		मिलीग्राम प्रतिनार्मर 750 क्यूबिक मीटर
(II)	नाइट्रोजन के आक्साइड	–	बोर्ड मानकों के अनुसार
(IV)	सल्फर डाई आक्साइड	–	,,
(V)	कार्बन मोनोआक्साइड	–	,,
(VI)	हाईड्रोकार्बन	–	,,

3. समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयत्रों का अधिरथापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के निर्देशो के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत नियंत्रण संयत्रों में सशोधन अथवा प्रतिस्थापन(यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हो)किया जा सकता है।
6. उद्योग में नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जायें।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मान्कों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ)उपरोक्त सदंभित सहमति शर्तो का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबध में आवश्यक आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की समरत शर्तो का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।

10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों उक्त संदभित शर्त (29)से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थान जो संदर्भित नियम 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण)नियम 1983 वर्णित है,को सूचित करना चाहिए।

11.इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।

12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन,स्टैक के अतिरिक्त अन्य बिन्दु से नहीं होना चाहिए।

13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा उक्त अथवा किसी अन्य आउट लेट से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने के संबध में समस्त आवश्यक सुविधाओ का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई सें आबादी,कृषक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई मे उत्पादन तुरन्त बन्द किया जायें तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जायें।

15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशो/ आदेशो का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस आदेश की शर्तो का अनुपालन संतोषजनक नही पायें जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही हो जाएगी।

16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्ते अधिनियम क धारा 21(6)के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।

17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जायेगा। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व(जो भी पहले हो)जमा किया जाए।

18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जायगी।

19. आवेदन को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियंत्रण संयत्रों के निर्माण अधिस्थापन अथवा संचलन तथा अन्य सभी सूचनायें जो वायु प्रदूषण से सम्बन्धित हो,उपलब्ध करानी होगी।

20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स,पार्टानर्स,प्रोपराइटर्स का पता,दूरभाष संख्या को एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।

21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी उत्तरांचल प्रदूषण बोर्ड ,वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 21(6) में तथा इसके संशोधितअधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के पास आरक्षित है।

26/5/15

क्षेत्रीय अधिकारी

District Level Environment Impact Assessment Authority, Saharanpur, U.P.

To,

Mr. Arvind Kumar
M/s Shiv Brick Supply Vill Tikola Kalan
Add- Village- Jhabreda,
District- Haridwar (Uttarakhand)

Ref. No...२०९........../Sah/DEAC/file no......./Brick Dated 7./12/2018

Sub: Environmental Clearance for Brick earth mining Gata Nos. 242M, 315, 238, 242M, 314 Village- Ransura, Tehsil – Deoband, District- Saharanpur, (U.P)

Dear Sir,

Please refer to your application dated 01.05.2018 addressed to the chairman, DEIAA, Saharanpur, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the District Level Expert Appraisal Committee Saharanpur .

The committee noted that an application dated 10.05.2018 was made by the project proponent for environmental clearance of Brick earth mining Gata Nos. 242M, 315, 238, 242M, 314 Village- Ransura, Tehsil – Deoband, District- Saharanpur. (U.P) (Leased area 3.559 Ha), M/s Shiv Brick Supply.

As presentation was made by the project proponent Mr. Arvind Kumar M/s Mr. Arvind Kumar along with their consultant before DEAC. The proponent, through the documents submitted and the presentation made during meeting has informed to the DEAC that:-

The Environmental Clearance is sought for Brick earth Gata Nos. 242M, 315, 238, 242M, 314 Village- Ransura, Tehsil – Deoband, District- Saharanpur, (U.P).

As per Form- 1M & documents submitted 6726.4 cum soil excavation per year is proposed form the area-3.559 ha. Gata wise excavation details are proposed as follows:

Village	Ransura	Coordinates:- 30° 8'39.41" N 77° 44'32.15" E
Tehsil	Deoband	
Gata No.	242M, 315, 238, 242M, 314	
Size Of Mining Lease (Hectare)	3.559 ha	
Capacity Of Mining Lease (TPA)	9417.11	
Expected Cost Of The Project	24 Lakh	
Period Of Mining Lease	5 Years	
Max. Depth of Mining	1.2 m	

District Level Environment Impact Assessment

1. The ultimate depth of mining will be restricted to 2.00 meter.
2. The water requirement will be limited to 2 KLD & will be supplied from water tanker.
3. The project dose not attract any of the general conditions applicable on mining projects specified in EIA Notification 14/09/2006.
4. Regarding the project no litigation is pending in any court.
5. An affidavit has been submitted by the proponent regarding compliance of provisions given in MOEF OM dated 24/06/2013.
6. The project proposal falls under category 1(a)- B2 of Gazette Notification No. S.O. 141 (E) dated the 15.01.2016 and EIA Notification, 2006 (as amended)..

Based on the recommendations of the District Level Expert Appraisal Committee That District Level Environment Assessment Authority decided to grant the Environmental Clearance to the project proposal subject to the effective implementation of the following general and specific conditions:

A. **General condition**

1. The project proponent will do mining/ digging of brick earth according to approved mines plan no 2003 dated 01.11.2018.
2. Environmental clearance does not create or verify any claim of applicant on the proposed site/ activity.
3. Any mining activity shall be undertaken only after permission from mining Department/ district administration and written agreement with land owner from where earth excavation is proposed.
4. No change is mining technology and scope of working shall be made without approva of Authority.
5. Personnel working in dusty area shall be provided with protective respiratory device and they shall also be imparted adequate training and information on safety and healtl aspects.
6. The authority reserves the right to revoke the clearance if conditions stipulated are nc implemented. The authority will also be entitled to impose additional environment conditions or modify the existing ones, if necessary.
7. In case of any deviation or alteration in the project proposed from those submitted this Authority for Environmental clearance prior to start any activity at the project site
8. Concealing factual data or submission of false/ fabricated data and failure to comp with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearan and attract action under the provisions of Environment (Protection) act, 1986.

Specific Condition

1. The mining will be open- cast type and carried out manually.
2. This environment clearance shall be subject to valid lease in favour of project proponent for the proposed mining proposals. In case, the project proponent does not have a valid lease. This environmental clearance shall automatically become null and void.
3. The environment clearance will be co-terminus with the mining lease period.
4. Top soil should be adequately preserved and should be used for landscaping.
5. Excavated soil should be properly stored in a manner not to increase surrounding SPM level.
6. Water sprinkler should be exercised during excavation and storage of soil for suppression of fugitive dust.
7. Excavated area should be properly reclaimed and ensured that no open bore hole is left.
8. Safety measures for the people working at the site shall be duly taken care of as per law.
9. The excavation work shall be done in day time only.
10. Green belt shall be developed around the mining site and around the haul road to mitigate noise and air pollution
11. Precautionary measures during soil excavation for conservation and protection of rare and endangered flora and fauna found in the study area.
12. Noise level shall be maintained as per standards for both day and night.
13. The route map for soil transportation from excavation plots to works site should be firmed up necessary permission shall be sought from district administration.
14. Vehicles hired for soil transportation should be in good condition and should have pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standers.
15. Approach road will be maintained periodically.
16. Personnel exposure monitoring for respirable mineral dust shall be carried out for the workers and records maintained including health records of the workers. Awareness program for workers on impact of mining on their health and precautionary measures like use of proposal protective equipments etc. shall be carried out periodically. First aid facilities and adequate sanitary facility in the form of temporary toilets septic tank.
17. Solid waste material vizgutkha rappers. Plastic bags, glasses etc. to be generated during project activity will be separately stored in bins and managed as per solid waste management rules.
18. Project proponent should maintain daily register for information of (a) collection of soil clay. (b) manpower& (c) transportation purpose.

District Level Environment Impact Assessment
Member Secretary

B. Specific Condition

1. The mining will be open- cast type and carried out manually.
2. This environment clearance shall be subject to valid lease in favour of proj proponent for the proposed mining proposals. In case, the project proponent does no have a valid lease. This environmental clearance shall automatically become null and void.
3. The environment clearance will be co-terminus with the mining lease period.
4. Top soil should be adequately preserved and should be used for landscaping.
5. Excavated soil should be properly stored in a manner not to increase surrounding SPM level.
6. Water sprinkler should be exercised during excavation and storage of soil for suppression of fugitive dust.
7. Excavated area should be properly reclaimed and ensured that no open bore hole is left.
8. Safety measures for the people working at the site shall be duly taken care of as per law.
9. The excavation work shall be done in day time only.
10. Green belt shall be developed around the mining site and around the haul road to mitigate noise and air pollution
11. Precautionary measures during soil excavation for conservation and protection of rare and endangered flora and fauna found in the study area.
12. Noise level shall be maintained as per standards for both day and night.
13. The route map for soil transportation from excavation plots to works site should be firmed up necessary permission shall be sought from district administration
14. Vehicles hired for soil transportation should be in good condition and should have pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standers.
15. Approach road will be maintained periodically.
16. Personnel exposure monitoring for respirable mineral dust shall be carried out for the workers and records maintained including health records of the workers. Awareness program for workers on impact of mining on their health and precautionary measures like use of proposal protective equipments etc. shall be carried out periodically. First aid facilities and adequate sanitary facility in the form of temporary toilets septic tank.
17. Solid waste material vizgutkha rappers. Plastic bags, glasses etc. to be generated during project activity will be separately stored in bins and managed as per solid waste management rules.
18. Project proponent should maintain daily register for information of (a) collection of soil clay, (b) manpower& (c) transportation purpose.

District Level Environment Impact Assessment ... Member Secretary

10. A minimum distance of 15 m from any civil structure has been kept from the periphery of any excavation area.
11. Norms of Transport Department PWD shall be strictly followed during transportation of minerals.

This clearance dose not confirmS ownership of project proponent on the proposed land. It only stipulates environmental safeguards regarding proposed excavation if the same is permitted by District Administration/Competent Authorities.

The clearance shall be subject to permission from District Administration for proposed excavation. District Administration can restrict quantity of soil excavation and/or other infrastructure proposed for excavation in accordance to prevalent mining rules.

The project proponent is also directed to ensure that the proposed site should not be a part of any buffer zone or non-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation this permission shall automatically deem to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership or land use of the proposed site, this permission shall automatically deem to be cancelled.

The DEIAA /MoEF reserve the right to revoke the Environmental Clearance, if condition stipulated are not implemented to the satisfaction of DEIAA/MoEF. DEIAA may impose additional environmental condition or modify the existing ones, if necessary. Necessary statutory clearance approvals should be obtained and submitted before start of any mining activity.

The stipulated would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment 9protection) Act, 1986, the Public Liability (Insure) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 including the amendments and rules made thereafter.

This is to request you to take further necessary action in the matter as per provision of Gazette NotificationNo. S.O. 1533(E) dated 14.09.2006, as amended and Gazette Notification No. S.O. 141(E) dated 15.01.2016.

Member Secretary
DEIAA, Saharanpur

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूड़की –247667 हरिद्वार
E-mail: rorueppcb2013@gmail.com

पत्रांक–यूकेपीसीबी / आर0ओ0आर0 / सहमति / एस–194 / 2025 / 576 दिनांकः 12.06.2025

पंजीकृत डाक / Whatsapp Message द्वारा

सेवा में,

श्री अरविन्द कुमार,
मै0 शिव ब्रिक सप्लाई,
ग्राम–टिकोलाकला,
तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विषयः– उद्योग मै0 शिव ब्रिक सप्लाई, ग्राम–टिकोलाकला, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उद्योग को इस कार्यालय द्वारा निर्गत Consolidated Consent and Authorization (CCA) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में समय–समय पर उद्योग के निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित सूचनाऐं वांछित हैं:–

1. ईंट भट्टा संचालन हेतु जिला पंचायत हरिद्वार से आवश्यक अनुमति पत्र।
2. ईंट भट्टा से उद्यान की दूरी के सम्बन्ध में जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार का प्रमाण पत्र।
3. ईंट निर्माण में प्रयुक्त भू–जल के प्रयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण की अनुमति पत्र।
4. ईंट भट्टें परिसर में धूल आदि नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाऐं एवं हरित पट्टिका का विवरण।

उपरोक्त क्रम में आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त सूचनाऐं आवश्यक संलग्नकों सहित **एक सप्ताह** के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्रेषित् करने का कष्ट करें। उपरोक्त सूचनाऐं स–समय प्राप्त न होने एवं सूचनाऐं संतोषजनक न पाये जाने पर उद्योग मै0 शिव ब्रिक सप्लाई, ग्राम–टिकोलाकला, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार को इस कार्यालय द्वारा निर्गत Consolidated Consent and Authorization (CCA) पत्रांक सं0– UKPCB/ROR/ Con/S-194/2024/295 दिनांक 27.05.2024 को Revoke / Cancel कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय ईंट भट्टा संचालक का होगा।

कृपया अवगत होना चाहें कि ईंट भट्टा मै0 शिव ब्रिक सप्लाई, ग्राम–टिकोलाकला, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार में पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रकरण मूल आवेदन सं0–271 / 2024 (MA No. 120/2024) सुशील त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन है।

भवदीय,

12.06.2025

(डा0 राजेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
2. सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित्।

क्षेत्रीय अधिकारी

S-194

13/06/2025

Annexure No. 9

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी
रुड़की

UKPCB
Regional Office, Roorkee
Diary No.: 897
Date: 13/06/2025

विषय- आपके पत्रांक संख्या UKPCB/ROR/CCA/S-194/2025/576 के सम्बन्ध में.

महोदय,

निवेदन है कि आपको अवगत कराना है कि हमारे द्वारा M/s शिव ब्रिक सप्लाई टिकौला कंला (हरिद्वार) को बन्द कर दिया गया है जिसका संचालन हमारे द्वारा हाल फिलहाल नहीं किया जा रहा है व इसके सम्बन्ध मे 24-01-2025 को आपके कार्यालय को मेरे द्वारा सूचित कर दिया गया था। जिसकी प्रतिलिपि मेरे द्वारा संलग्न की जा रही है।

नोट:- यदि इसके अलावा आपको किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता हो तो आप मुझे सूचित करें।

दिनांक
13-06-2025

Aleemau
प्रार्थी
शिव ब्रिक सप्लाई
P/O

संलग्न प्रतिलिपि-

1. दिनांक 24/01/2025 का पत्र संलग्न
2. दिनांक 12/06/2025 का पत्र संलग्न

Clerk Keep in file
13/06

13/06

GSTIN : 05AETPK4696M1ZL

SHIV BRICK SUPPLY

Village Tikkola Kala, T. Roorkee, Distt. Haridwar (U.K.)

Ref ....

Date 24/01/2025

सेवा में,
क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
उ० प्रदूषण बोर्ड
रुड़की

विषय - भट्टा बन्द करने के सम्बन्ध में।

महोदय
निवेदन है कि मेरा ईंट भट्टा जून 2024 से बन्द कर दिया है। इसकी सूचना को दे रहा हूँ। यदि भविष्य में चालू करूंगा तो इसकी सूचना आपको दूंगा।

पत्र प्राप्त 24/01/2025

नवीन Kumar
प्रोपराइटर

REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
Irrigation Design Building Campus
Roorkee, District Haridwar
E-mail : rorueppcb2013@gmail.com

Letter Ref. No.: UKPCB/ROR/Con/S-194/2025/632 **Date: 20.062025**

SPPEED POST

To,

M/S Shiv Brick Supply
Vill. - Tikola Kala
Pargana Manglour, Tehsil Roorkee
District Haridwar (Uttarakhand)

Sub.: Revocation of Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2)" of the "Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as **Water Act, Air Act** and **Hazardous & Other Wastes Rules,** respectively) – reg.

CAF ID - 5335	**Application ID - 163631**
CCA (Renewal)	

Kindly refer to the Consolidated Consent & Authorization (CCA) renewal order issued to **M/S Shiv Brick Supply,** Vill. Tikola Kala, Pargana Manglour, Tehsil Roorkee, District Haridwar (hereinafter referred as "Brick Kiln" by this office vide letter ref. no. UKPCB/ROR/Con/S-194/2024/295 dated 27.05.2024. In continuation of above, following information was sought from the Occupier of the Brick Kiln vide this office letter ref. no. UKPCB/ROR/Con-S-194/2025/576 dated 12.06.2025:

1. Permission from the Zila Panchayat, Haridwar for operation of brick kiln.
2. Certificate of District Horticulture Officer, Haridwar regarding distance from brick kiln to orchard.
3. Permission of uses of ground water for brick making from the Central Ground Water Authority (CGWA).
4. Arrangement for dust control and development of greenbelt in the premise of brick kiln.

The Occupier of Brick Kiln has submitted his reply vide letter dated 13.06.2025 and informed that said brick kiln has been closed and presently operation of brick kiln is not being done. The occupier of Brick Kiln has not submitted the information sought by this office vide letter dated 12.06.2025.

Now therefore, in view of above and in exercise of powers conferred under section 27 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, section 21(4) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and rule 6(4) of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable, the Consolidated Consent & authorization (CCA) renewal order issued to the brick kiln by this office vide letter ref. no. UKPCB/ROR/Con/S-194/2024/295 dated 27.05.2024 is hereby revoked.

The occupier of the brick Kiln is hereby directed not to operate said brick kiln without prior Consolidated Consent & authorization (CCA) of the State Pollution Control Board.

20.06.2025

(Dr. Rajendra Singh)
Regional Officer

Copy to: Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for kind information please.

OFFICE COPY

20.06.2025
Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय रुड़की जिला हरिद्वार

LiFE Lifestyle For Environment
UKPCB
HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun
E-mail : msukpcb@yahoo.com, Phone No.-0135-2607092

UKPCB/HO/C&M-2 /2024/ 513

Date: 12. 12.2024

Speed Post

To,

M/s Shiv Brick Supply
Vill-Tikola Kalan, Post-Gurukul Narsan,
Distt-Haridwar

Directions under Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act- 1981

WHEREAS, the **Central Government** has made the **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981;** and vide provisions of this act every air polluting industry/unit/ operation/processes is required to obtain consent to establish and consent to operate from the **State Pollution Control Board; and**

WHEREAS, as per **Section-21** of **the Air (Prevention and Control of Pollution Act, 1981** as amended, it is the mandatory requirement for any industry plant, operation or process, or any treatment and disposal system or any extension or addition thereto, which is likely to generate emission, to obtain prior consent of the Board; and

WHEREAS, Hon'ble NGT in the matter of OA No.783/2022 interalia directed that - *"For Past violations, State PCB shall take steps for assessment of compensation in accordance with law within further two months"* on dated 12.01.2023; and

WHEREAS, in compliance of above order(s) of the Hon'ble NGT and Hon'ble High Court of Uttarakhand, the Regional Officer, Roorkee of this Board has assessed the past violation of the Unit and calculated the environmental compensation as per procedure adopted by the Board, as the Unit has not taken consent of the Board and started its operation illegally.

WHEREAS, in view of above a show cause notice for imposition of **environmental compensation was issued to the Unit** under **Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 vide this office letter no. UKPCB/HO/C&M-2/2023/81 dated 18.09.2023;** and

WHEREAS, an environmental compensation of ₹10,43,250/- was imposed against the Unit vide this office letter no. UKPCB/HO/C&M-2/2024/139 dated 14.06.2024 and directed to submit the environmental compensation within 15 days of receipt of the letter; and

WHREAS, reminder was also issued to the Unit vide this office letter no. UKPCB/HO/C&M-2/2024/523 dated 15.07.2024 to deposit environmental compensation amount within 15 days to this office. However, requisite environmental compensation amount has not been deposited so far and closure notice was issued to the Unit vide this office letter no. UKPCB/HO/C&M-2/2024/315 dated 03.08.2024; and

WHEREAS, Hon'ble High Court of Uttarakhand in the matter of WPMB No. 383/2022, M/s Doab Bhatta Company Vs State of Uttarkahand & Ors, Hon'ble High Court was placed to direct .... "In the meantime, the respondents will apply their mind to the facts of above said cases, and then they can proceed with the recovery keeping in view the above three facts in accordance with law."

Now where, for in compliance of above direction of Hon'ble High Court, environmental compensation of your Unit was reassessed, the Unit accordingly deposit ₹10,43,250/- as Environment Compensation in favour of Uttarakhand Pollution Control Board payable at Dehradun. The reply shall be submitted within 30 days of issuing this notice.

(Dr. Parag Madhukar Dhakate)
Member Secretary

Letter no :- UKPCB/HO/ C&M-2/2024/ **Dated : as above**

Copy to :-

1. **Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Roorkee for information and** strict compliance of above direction.
2. **Account section, UKPCB, Head office, Dehradun** for kind information please.
3. **Guard File.**

Member Secretary

U.O.No.263 /XXXVI-A-3/Law Sec./2025-15(20)2025-Environment

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 271 OF 2024

Sushil Tyagi — Appellant(s)

Versus

State Of Uttarakhand — Respondent(s)

VAKALATNAMA

I/We **State of Uttarakhand,** the Appellant(s)/Petitioners(s)/Respondent(s)/ intervener(s) of the above Appeal/Petition/ Reference do hereby appoint and retain **Sri Dhruv Tamta**, Advocate of the Supreme Court to act and appear for me/us in the above matter and to conduct or defend the same and to appear in all proceedings that may be taken in respect of any application connected with the same or any decree or order passed therein, including proceedings in taxation and application for Review, to file and obtain return of documents, to deposit and receive money on my/our behalf in said matter and to represent me/us and to take all necessary steps in the above matter. I/We agree, to ratify all acts done by the aforesaid Advocate in pursuance of the authority.

Dated this the 25 day of June, 2025.

ACCEPTED

Mr. Dhruv Tamta,
Panel Advocate,
331, M.C Shetalwad Block,
Supreme Court ,
New Delhi-110001
Mo.-9899989917
E-ID-tamtaadvocate@outlook.com

25/6/2025

(Rajani Shukla)
Addl. Secretary & A. L.R.
Government of Uttarakhand
APPELLANTS/PETITIONERS/RESPONDENTS

(Rajani Shukla)
Additional Secretary,
Law-Cum-Additional L.R.
Government of Uttarakhand

ADVOCATES' WELFARE FUND STAMP
BAR COUNCIL OF DELHI
TWENTYFIVE RUPEES ₹25
1886906

MEMO OF APPEARANCE

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
New Delhi.

Sir,

Please enter my appearance in the above mentioned case on behalf of the Petitioner(s)/Respondent(s).

Yours faithfully,

(Dhruv Tamta)
Advocate for the
Petitioner(s) Respondent(s) Appellant(s)

₹1
NCT OF DELHI COURT FEE
DLCT1718703C2513K
17-MAR-2025

DHRUV TAMTA
Advocate-on-Record
AOR Code 3031
331, M.C. Setalvad Block, Bhagwandas Road,
New Delhi- 110001 Ph.: 23070031
M: 9899989917; E: tamtaadvocates@outlook.com